14-12-17

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि वादीगण की आराजीयात की भूमि खसरा नंबर 852 रकबा 0.43 हेक्टर, 853 रकबा 0.19 हेक्टर, 855 रकबा 0.03 हेक्टर, 856 रकबा 0.02 हेक्टर, 857 रकबा 0.53 हेक्टर, 858 रकबा 0.56 हेक्टर, 859 रकबा 0.05 हेक्टर, 860 रकबा 0.26 हेक्टर, 861 रकबा 0.23 हेक्टर, 865 रकबा 0.53 हेक्टर, 900 रकबा 0.78 हेक्टर, 872 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हेक्टर वाके ग्राम कुसॉय है। जिसमें वादीगण एकमात्र वारिस है। जिसका सरकारी लगान अदा कर कब्जे काश्त है और प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने के कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेगें जब तक कि उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कर दिया जावेगा। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार खसरा नंबर 852 रकबा 0.43 हेक्टर, 853 रकबा 0.19 हेक्टर, 855 रकबा 0.03 हेक्टर, 856 रकबा 0.02 हेक्टर, 857 रकबा 0.53 हेक्टर, 858 रकबा 0.56 हेक्टर, 859 रकबा 0.05 हेक्टर, 860 रकबा 0.26 हेक्टर, 861 रकबा 0.23 हेक्टर, 865 रकबा 0.53 हेक्टर, 900 रकबा 0.78 हेक्टर, 872 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हेक्टर वाके ग्राम कुसॉय वादीगण बुद्धि पुत्र सुन्दर व किशन पुत्र गिरवर जाति जाटव के नाम दर्ज है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि भूमि मुतदाविया के वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हमारी विनम्र राय में एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पहॅुचाने का अधिकार नहीं है। इसलिए वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 852 रकबा 0.43 हेक्टर, 853 रकबा 0.19 हेक्टर, 855 रकबा 0.03 हेक्टर, 856 रकबा 0.02 हेक्टर, 857 रकबा 0.53 हेक्टर, 858 रकबा 0.56 हेक्टर, 859 रकबा 0.05 हेक्टर, 860 रकबा 0.26 हेक्टर, 861 रकबा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	0.23 हेक्टर, 865 रकबा 0.53 हेक्टर, 900 रकबा 0.78 हेक्टर, 872 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हेक्टर वाके ग्राम कुसॉय के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो। यह आदेश आज दिनांक–14.12.2017 को सुनाया गया। (मुनिदेव यादव) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी	14-12-17

डिक्री व मुकद्दम इब्तदाई

Judi/Civil
Part IV-10

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर **मुकाम** गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. बुद्धि पुत्र सुन्दर जाति जाटव, निवासी कुसांय, तहसील गंगापुर सिटी –मृतक
1/1 कलिया बेवा बुद्धि जाति जाटव, निवासी कुसांय, तहसील गंगापुर सिटी
1/2 रामसहाय पि0 बुद्धि
1/3 हरिलाल जाति जाटव
1/4 रामबाबू निवासी कुसॉय (खोरपुरा)
1/5 ओमप्रकाश तहसील गंगापुर सिटी
1/6 मुकेश
1/7 विद्या
2. किशन पुत्र गिरवर, जाति जाटव, निवासी कुसांय, तहसील गंगापुर सिटी

बनाम

1. मुकन्दी पुत्र गिरवर, जाति जाटव, निवासी कुसांय (खोरपुरा), तहसील गंगापुर सिटी
2. कन्हैया पुत्र गिरवर, जाति जाटव, निवासी कुसांय (खोरपुरा), तहसील गंगापुर सिटी
3. रूपचन्द पुत्र रामखिलाड़ी, जाति जाटव, निवासी कुसांय (खोरपुरा), तहसील गंगापुर सिटी
4. खेमचन्द पुत्र रामखिलाड़ी, जाति जाटव, निवासी कुसांय (खोरपुरा), तहसील गंगापुर सिटी

–प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –113/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रमेश चंद गुप्ता, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई – मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है** कि वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि खसरा नंबर 852 रकबा 0.43 हेक्टर, 853 रकबा 0.19 हेक्टर, 855 रकबा 0.03 हेक्टर, 856 रकबा 0.02 हेक्टर, 857 रकबा 0.53 हेक्टर, 858 रकबा 0.56 हेक्टर, 859 रकबा 0.05 हेक्टर, 860 रकबा 0.26 हेक्टर, 861 रकबा 0.23 हेक्टर, 865 रकबा 0.53 हेक्टर, 900 रकबा 0.78 हेक्टर, 872 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हेक्टर वाके ग्राम कुसॉय में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पर्चा डिक्री अज दिनांक–14.12.2017 को जारी किया गया।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		